



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-738/1779

रायपुर, दिनांक 23/07/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषय:- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act. 1980 Proposed for Construction of Kondagoan Bypass Road (from NH 30 KM 223/2 from 1/2 to 9/8=8.727 KM) Area 9.304 ha. Dahikonga Range in RF Compartment No. 795,794,777 and RF 793 in South Kondagaon Division Kondagaon District in the State of Chhattisgarh-regarding .
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/ROAD/29577/2017

- संदर्भ:-**
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्र./FC-I/IROCH-15/2023/1226 दिनांक 30.01.2023
 2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-24/ 2022/ 10-2 दिनांक 17.02.2023
 3. मुख्य वन संरक्षक, कांकर वृत्त का पत्र क्रमांक / मा.चि./ 2023 / 2371 दिनांक 19.07.2023

-0-

विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर के संदर्भित पत्र - 1 द्वारा Kondagoan Bypass Road (from NH 30 KM 223/2 from 1/2 to 9/8=8.727 KM) हेतु प्रभावित कुल 9.304 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कोण्डागांव संभाग, जिला कोण्डागांव को प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, कांकर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र-3 के माध्यम से प्रेषित किया है। बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

क्रमांक	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का का Undertaking संलग्न है।
ii	Compensatory Afforestation : a) Compensatory afforestation shall be taken up by the user Agency carried out on 18.608 ha. Degraded revenue forest land in Khasra No. 1/1 (total area 38.019 ha) at Village Aadnar, in Kondagaon Forest Division at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided; b) The revenue forest land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department.	शर्त अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा वित्तिय वर्ष 2023-24 के नवीन दर 9,66,666/-राशि प्रति हे.के आधार पर सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रकबा 9.304 हेक्टेयर के दुगुने राजस्व वन भूमि 18.608 x 9,66,666=1,79,87,721/- रुपये भारत सरकार के वेब पोर्टल पर ई-चालान के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा की गई है। चालान की सत्यापित प्रति संलग्न है। शर्त आवेदक संस्थान द्वारा मान्य किया गया है।

क्रमांक	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
iii	The cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 year. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedules for subsequent years;	शर्त अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा वित्तिय वर्ष 2023-24 के नवीन दर 9,66,666/-राशि प्रति हे.के आधार पर 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रकबा 9.304 हेक्टेयर के दुगुने राजस्व वन भूमि 18.608 x 9,66,666=1,79,87,721/- रूपयें भारत सरकार के वेब पोर्टल पर ई-चालान के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा की गई है। चालान की सत्यापित प्रति संलग्न है।
iv	NPV : a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 9.304 ha forest area to be diverted under this proposal from the user Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, letters No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, letters No. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letters No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard. b) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency, The User Agency shall furnish as undertaking to this effect;	शर्त अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा प्रत्याशा मूल्य की राशि 1,33,66,777/- रूपयें भारत सरकार के वेब पोर्टल पर ई-चालान के माध्यम से कैम्पा खाता जमा कि गई है। चालान की सत्यापित प्रति संलग्न है। शर्त अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा प्रत्याशा मूल्य की अतिरिक्त राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध है। तदाराय का आवेदक संस्थान का Undertaking संलग्न है।
v	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in);	शर्त अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण/प्रत्याशा मूल्य की कुल राशि 3,13,54,498/- रूपयें भारत सरकार के वेब पोर्टल पर ई-चालान के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा की गई है। चालान की सत्यापित प्रति संलग्न है।
vi	The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition) of Forest Rights) Act 2006 (No. 2 of 2007) before issuing as order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule-9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2002 dated 28.06.2022;	शर्त अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण हेतु पूर्व प्रस्ताव के पृ.क्र 103 से 114 एवं 121 से 143 में संलग्न कर प्रेषित किया जा चुका है।

क्रमांक	अधिरूपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
vii	The total project trees are 321; comprised of 59 trees above 90 cm girth and the remaining 262 trees below 90 cm girth class. The User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	शर्त अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा वृक्ष विदोहन/परिवहन की राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का Undertaking संलग्न है।
viii	The RoW of existing road and proposed road is 18 m.;	शर्त अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित परियोजना में 18 मीटर की चौड़ाई में निर्माण कार्य करने हेतु वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का Undertaking संलग्न है।
ix	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;	शर्त अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा सीमांकन हेतु मुनारा निर्माण की राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का Undertaking संलग्न है।
x	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas,	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का Undertaking संलग्न है।
xi	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	शर्त आवेदक संस्थान का पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होने का Undertaking संलग्न है।
xii	The State Forest Department shall ensure that proposed structures provide safe passage for the smooth movement of wildlife and cattle as suggested by the Wildlife institute of india in manual entitled "Eco-friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife, Published in 2016 and as desired that KML file of the entire alignments highlighting the locating of all structures (Culverts, Box culverts, and Slab Culverts etc.) should be submitted to the IRO, Raipur along with the Stage-I compliance reports;	शर्त अनुसार आवेदन संस्थान द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित मार्ग में कुल 51 नग छोटे एवं बड़े स्लेब कल्वर्ट का प्रावधान किया गया है। जिसमें से 22 नग स्लेब कल्वर्ट का निर्माण वन क्षेत्र में किया जाना है। सभी 51 नग स्लेब कल्वर्ट की स्थिति Google Map में चिह्नकित कर KML file की सीडी तैयार कर दिया गया है।
xiii	The designing of culverts /bridges, over the natural stream/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का Undertaking संलग्न है।
xiv	The plantation along the road side or RoW of the road as per the IRC norms should preferably be done by the State Forest Department besides general and standard conditions from the funds provided by the User Agency. The State forest Department shall prepare the plantation proposal giving preference to the native forest tree species including fruit-bearing tree species, and shall submit to the IRO, Raipur along with the Stage-I compliance report;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का Undertaking संलग्न है।

क्रमांक	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
XV	The plantation schemes along with the selection of species and other technical inputs should be approved from the concerned State Forest Department Further the user agency & State Forest department shall ensure good quality of plantation & ensure survival of all such plantations.	शर्त अनुसार आवेदक विभाग द्वारा मार्ग के दोनों ओर परियोजना मद से स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष (फलदार एवं फुलदार) वृक्षों का वृक्षारोपण करने का वचन पत्र दिया गया है। तदाशय का Undertaking संलग्न है।
Xvi	No labour camp shall be established on the forest land;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का Undertaking संलग्न है।
Xvii	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का Undertaking संलग्न है।
Xviii	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का Undertaking संलग्न है।
xix	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का Undertaking संलग्न है।
XX	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का Undertaking संलग्न है।
XXi	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favor of the user agency or the project life, whichever is less;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का Undertaking संलग्न है।
XXii	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का Undertaking संलग्न है।
XXiii	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का Undertaking संलग्न है।
XXiv	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का Undertaking संलग्न है।
XXV	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in);	शर्त अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा e-portal में अपलोड किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (02 प्रति में)

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, नवा रायपुर। प्रस्तावित वन क्षेत्र में खड़े 321 वृक्षों के विदोहन हेतु प्रस्ताव में संलग्न वृक्ष विदोहन योजना अनुसार अनुशंसा की जाती है।
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 30.01.2023 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गार्ड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।
- वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमति प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी के पी.डी. खाते में वृक्षों के विदोहन हेतु जमा राशि के आहरण की अनुमति पृथक से भू-प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।
3. वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल, कोण्डागांव, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कोण्डागांव संभाग, जिला कोण्डागांव।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)

छत्तीसगढ़